



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर

क्रमांक: एफ.9 ()आ.फा./न.नि.ज/19 | 2181 दिनांक 26/11/19

श्री रवि जूनीवाल,
पुत्र श्री सागरमल जूनीवाल,
अध्यक्ष अपेक्स इन्टरनेशनल स्कूल,
लालकोठी योजना जयपुर।

अपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा भूखण्ड लाल कोठी योजना, जयपुर में निर्मित शैक्षणिक संस्थान अपेक्स इन्टरनेशनल स्कूल की स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने हेतु इस विभाग में आवेदन किया है। अतः स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण किया गया जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:-

निर्माण की स्थिति:-

1. स्थल पर एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया हुआ है जिसमें ग्राउण्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तल का निर्माण किया गया है।
2. उक्त भवन ग्राउण्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तल का निर्माण कर कालेज संचालित की जा रही है।
3. दोनों तरफ सिढ़ी का निर्माण कर दो-दो सीढ़ी का आपात व जनरल का बना रखा है।
4. बिल्डिंग के ऊपर पानी टैंक अलग-अलग 10,000 लीटर का निर्माण किया है।

अग्निशमन यन्त्रों की स्थिति:-

1. उक्त टैंक पर 10 एच.पी. की मोटर लगा रखी है।
2. प्रत्येक फ्लोर पर फायर हाईड्रैन्ट मय होज व ब्रान्च के लगा रखे है जो कि वर्तमान में कार्यरत अवस्था में है।
3. फायर होजरील प्रत्येक फ्लोर पर लगा रखी है जो कि वर्तमान में कार्यरत अवस्था में है।
4. प्रत्येक फ्लोर पर एम.सी.पी. हूटर लगा रखे हैं जो कि वर्तमान में कार्यरत अवस्था में है।
5. ग्राउण्ड फ्लोर पर टू वे लगा रखे है।
6. यार्ड हाईड्रैन्ट लगा रखा है जो कि वर्तमान में कार्यरत अवस्था में है।
7. स्थल पर कोई रूफटॉप रेस्टोरेन्ट आदि संचालित नहीं है व आवेदक भविष्य में कोई भी रूफटॉप रेस्टोरेन्ट आदि का संचालन नहीं करेगा।

स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरणों व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थिति अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। अतः उक्त भूखण्ड पर निर्मित फैक्ट्री की निरीक्षण रिपोर्ट आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार ही जारी किये जाने की तिथि से तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तानुसार जारी की जाती है व भविष्य में स्थल पर अग्निशमन उपकरणों की प्रयाप्त व्यवस्था करनी होगी। आवेदक को तीन वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र को नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

1. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घन्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
2. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घन्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम कारख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये प्रयाप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
5. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र बतौर निरस्त माना जाएगा।
6. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवादीतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवम् इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
7. भवन में परकिंग की नियमानुसार व्यवस्था करनी होगी एवम् उक्त स्थल पर अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

(जगदीश प्रसाद फुलवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

A. Angro

PRINCIPAL
APEX INTERNATIONAL SCHOOL
JAIPUR

[Signature]

SECRETARY
APEX INTERNATIONAL SCHOOL
JAIPUR